तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील जीसीएमएस संख्या 2025/564 राजकुमार बनाम मोहम्मद इकबाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.03.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील उभयपक्ष की बहस पूर्व में प्रारम्भिक आपत्तियां पर सुनी गयी। वकील अपीलार्थी श्री रतन सिंह एड. उपस्थित। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से श्री विजयसिंह राठौड एड. एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से श्री हरलाल सिंह एड. उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस प्रारम्भिक आपत्तियॉ पर सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 6 ने प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्तियां के कथनों को दोहराते हुये कथन किया गया कि अपीलान्ट राजकुमार द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उपखण्ड अधिकारी धोद मुकाम सीकर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2022 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मुकाम सीकर के समक्ष मोहम्मद इकबाल व अन्य का दावा बाबत नक्शा दुरूस्ती इन्द्राज हेतु प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2022 पारित की गयी थी जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। माननीय न्यायालय निदेशक भू–अभिलेख के अधिकार धारित करते है तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित किसी भी निर्णय व डिक्री के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रावधान नही है तथा ना ही माननीय न्यायालय को किसी निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार है। मौजूदा अपील उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसकी सुनवाई का माननीय न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है तथा मौजूदा अपील संधारणीय योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार विहिन होने से खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रतित होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील उपखण्ड अधिकारी धोद मुकाम सीकर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2022 के विरूद्ध पेश की गई है। जिसकी सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत नही है। अतः अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 6 की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार की जाती है तथा अपील पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाजा के स्तर पर संभव नही होने से परिणामतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। यदि अपीलार्थी को कोई आपत्ति है तो वे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय विधिवत सूचित हो। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो। (दीप्ति कछवाहा) अति0 संभागीय आयुक्त अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	